न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 123/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/143)
पंजीयन दिनांक– 25.02.2021
निर्णय दिनांक– 31.08.2021

1. श्री नन्दा पिता गोदा गुर्जर, निवासी आनन्दपुरा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री नन्दा पिता किशना धाकड, निवासी काटुन्दा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 12/2015 (रा.प्रा.प.) निर्णय दिनांक 07.07.2017

निर्णय

दिनांक 31.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 12/2015 (रा.प्रा.प.) निर्णय दिनांक 07.07.2017 के विरूद्ध दिनांक 18.07.2017 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला

चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट को मौजा काटुन्दा की आराजी नम्बर 1066/17 रकबा 1.29 हैक्टेयर दिनांक 25.05.1982 को आंवटित की गयी, जो नामांतरकरण संख्या 363 दिनांक 07.01.1983 से आवंटी के गैर खातेदारी दर्ज की गई, परन्तु आवंटी ने आज तक आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है एवं आवंटित संपूर्ण रकबे पर काश्त नहीं की है जिससे आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 12/2015 (रा.प्रा.प.) निर्णय दिनांक 07.07.2017 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) का स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.07.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *''वर्तमान राजस्व रेकार्ड सम्वत् 2072–75 में भूमि विपक्षी संख्या 1 नन्दा पिता गोदा गुर्जर के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त स्थिति के अनुसार स्पष्ट होता है कि आवंटी का भूमि आवंटन के पश्चात् किसी प्रकार का कब्जा नही रहा है तथा न ही आवंटी का आवंटन के पश्चात काश्त की है। भूमि पर आंवटी के अलावा अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने के संबंध में भी आवंटी द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में नही की है। आवंटी द्वारा विगत 34 वर्षो से काश्त नही करना एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त नही करना इस बात को प्रमाणित करता है कि आवंटी मौके पर आवंटित भूमि कब्जे काश्त में नही रही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर*

भूमिधारी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ग्राम काटुन्दा, तहसील बेंगू की आराजी नम्बर 1066/17 रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाता है। साथ तहसीलदार बेंगू को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत भूमि को राजस्व अभिलेख में बिलानाम दर्ज कर भूमि का कब्जा प्राप्त करें।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 25.08.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को भूमि का आवंटन विधिवत आवंटन कमेटी में किया गया है। वक्त आवंटन के समय रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा किसी प्रकार का कोई उजर एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वक्त आवंटन स्वयं तहसीलदार भूमिधारी आवंटन कमेटी के सदस्य होकर प्रश्नगत आराजी भूमि को आवंटन करने की सिफारीश की है तथा वर्तमान में आवंटी को कब्जा नहीं मानकर एवं गैर खातेदारी से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से रेस्पोडंट संख्या 1/भूमिधारी तहसीलदार द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही की गई जो विधि विपरीत है। चूंकि आज भी मौके पर आवंटी को कब्जा होकर काश्त हो रही है। भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः R. R. D. 1986 Page 9, R. B. J. 2016 Page 625, R. R. D. 2018 Page 453, R. R. D. 2018 Page 479, R. R. D. 2018 Page 452,

2008 (1) R. R. T. Page 834, R. R. D. 1994 Page 87 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 12/2015 (रा.प्रा.प.) निर्णय दिनांक 07.07.2017 से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2017 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आलोच्य आवंटन अपीलांट को दिनांक 25.05.1982 को आराजी नं0 1066/17 रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि आवंटन के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.07.2015 को नन्दा पिता गोदा व नन्दा पिता किशना रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के विरूद्ध आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन पेश किया है। अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1986 पेज 09 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदन विधिवत् रूप से प्रस्तुत नहीं हुआ, ऐसे प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया जाना चाहिये। उक्त न्यायिक नजीर में वर्णित तथ्यों के सन्दर्भ में इस प्रकरण में डाक से आवेदन भिजवाना अथवा पैरोकार के अनुपस्थित रहने आदि के तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होते, अतएवं यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।

अब हम अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी अपील के गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में जो आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन प्रस्तुत हुआ, उसमें तहसीलदार ने यह वर्णित किया है कि आवंटन वर्ष 1982 में हुआ तथा आवंटन के बाद वर्ष 2013 में आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने बाबत् पर्चा मौका प्रस्तुत किया, जिसकी पुनः जांच दिनांक 22.06.2015 को

गिरदावर से करवायी गयी तथा आवंटी का कब्जा, काश्त नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 2 यानि रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 का कब्जा होना पाया गया अर्थात् यह आवेदन मूलतः तहसीलदार द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने के एवं काश्त नहीं करने के आधार पर आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया है एवं आश्चर्यजनक रूप से तहसीलदार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय आवंटी के साथ रेस्पोंडेण्ट/विपक्षी संख्या 2 का कब्जा बताया है, उसे भी पक्षकार संस्थित किया है एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 2, जिसका कब्जा होना कथन किया गया है, उसके द्वारा तहसीलदार के आवंटन निरस्तीकरण के आवेदन पर सहमति का जबाब दिनांक 20.10.2015 को प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित किया है कि आवंटी का कब्जा नहीं है तथा 60 वर्षों से उसका कब्जा है। उसने भूमि पर कुआं खुदवाया है, ट्यूबवैल लगवाया है तथा अपने जबाब की कलम संख्या 9 में अपने बड़े परिवार का हवाला होना वर्णित किया है तथा आवंटी को अन्य गांव का रहने वाला बताया है, आवंटन समिति का कोरम भी पूरा नहीं होना बताया है। भूमि पर आवंटन के समय रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 का कब्जा होना भी बताया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता इस बात से अत्यन्त विस्मित है कि आवंटन निरस्तीकरण के प्रकरण में आवंटी के साथ रेस्पोंडेण्ट के रूप में जिसका कब्जा है, उसे भी पक्षकार संस्थित करना एवं उसके द्वारा तत्काल ही आवंटन निरस्तीकरण से तहसीलदार से सहमति रखते हुए अपना कब्जा होना बताना अत्यन्त आश्चर्यजनक है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने कब्जे के सन्दर्भ में कुछ ग्रामवासियों के शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किये हैं जिनमें कब्जा रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 का होना के शपथ–पत्र में कथन किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में आवंटन की शर्तों को भंग किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने का वर्णन किया गया है, जिसमें साथ में जो पर्चा मौका लगाया गया है, उसमें अपीलाण्ट या उनके पूर्वज आवंटी की उपस्थिति नही है। इसी प्रकार वर्ष 2015 में जो पर्चा मौका गिरदावर द्वारा बनाया गया है, उसमें भी

यह वर्णित किया गया है कि आवंटी ने आवंटन से आज तक काश्त नहीं की एवं निर्धारित शर्तों की पालना नहीं की। भूमि मौके पर पड़त है एवं अन्य व्यक्ति नन्दा किशन धाकड़ का कब्जा होना बताया गया। इसमें भी अपीलाण्ट शामिल नहीं है। आवंटन वर्ष 1982 का होकर नामान्तकरण वर्ष 1982 में नन्दा के नाम प्रमाणित हुआ है तथा वर्ष 1982 में राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि होने के बाद 32–33 वर्ष बाद आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा कुछ खसरा गिरदावरियां भी प्रस्तुत की गयी है जिनमें काश्त नहीं होना दर्शित है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 द्वारा कतिपय जमाबंदियां भी प्रस्तुत की गयी है परन्तु उनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि गोदू आवंटी भूमिहीन की पात्रता से अधिक भूमि रखता हो। दौराने अपील आश्चर्यजनक रूप से रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 जिसे आवंटी के साथ अधीनस्थ न्यायालय में आवंटित भूमि पर आवंटी के स्थान पर काबिज होना बताया है, वह बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आरडी. 2018 पेज 453 प्रस्तुत की है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि आवंटन समिति की सिफारिश होने और कोई आवंटन में प्रारम्भिक त्रुटि प्रथम दृष्टया अनियमितता/फ्राड मिसरिप्रेजेंटेशन प्रकट नहीं होने पर आवंटन निरस्त नहीं किया जाना चाहिये। अपीलाण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 2018 पेज 479 प्रस्तुत की है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि आवंटन के 3 वर्ष बाद खातेदारी मिल जाना या खातेदारी हो जाने की पूर्व अवधारण माना जाना चाहिये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में जो वर्णित किया है उसे हम यहां उद्धृत करना उचित समझते हैः–

In view of above this Court finds that the period of ten years as mentioned shows that after three years the allottee would be conferred Khatedari rights. The provision does not require anything else but to make the entries in the revenue records. A presumption has to be

drawn that after three years Khatedari rights shall be conferred on the allottees and thereafter there was no power vested with petitioner to cancel the allotment. From the tenor of Rule 14 of the Rules of 1970, it is apparent that the cancellation under Rule 14(4) of the Rules of 1970 can be on two counts; firstly, on the ground that the allottee has not cultivated 50% of the land in the first year of allotment and remaining in the second year but such cancellation can only be within a period of three years as provided under Rule14(1) of the Rules of 1970 because after three years, the concerned tenant would acquire Khatedari rights. The second ground on which the Collector has cancelled the allotment is if he is satisfied that the allotment has been secured through fraud or misrepresentation.

9. From the perusal of the order passed by the Additional Collector, Ajmer, it is apparent that the Additional Collector, Ajmer did not cancel the allotment on the ground of fraud or misrepresentation but was only on the ground that the land had not been cultivated.

10. Taking into consideration the view as above, the cancellation therefore, could not make after a period of three years. The allotment is therefore, required to be restored. The order of Board of Revenue though on different footings is upheld for the reasons stated above.

यह नजीर इस प्रकरण से अत्यन्त सुसंगत है। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आवंटन के 3 वर्ष के बाद खातेदारी प्राप्त होना पूर्व अवधारणा है एवं उसके बाद

उसका आवंटन निरस्त नही किया जाना चाहिये। माननीय न्यायालय ने आवंटन निरस्त किये जाने के बाबत् प्रावधानों पर व्याख्या करते हुए यह वर्णित किया है कि आवंटन दो ही कारणों से खारिज हो सकता है या तो आवंटन प्राप्त करने में कोई अनियमितता हुई है अथवा आवंटन शर्तों की अर्थात् भूमि की काश्त की पालना नहीं की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 3 वर्षों में काश्त करने की शर्त (हालांकि वर्तमान में वर्ष 1999 से 3 वर्ष में काश्त की शर्त भी विद्यमान नही है) का 3 वर्ष के तुरन्त बाद ही निर्धारण किया जाना चाहिये अन्यथा 3 वर्षों के बाद खातेदारी प्राप्त होने की उपधारण विद्यमान रहती है। 3 वर्षों के बाद खातेदारी मिल जाने की उपधारणा बाबत् अन्य नजीर आर.आर.डी. 2018 पेज 492, आर.आर.टी. 2008 पेज 834 प्रस्तुत की है। इनमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि आवंटन प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो एवं आवंटन के 3 वर्ष गुजर जाने के बाद आवंटित भूमि का गैर खातेदारी से खातेदार बन जाने की उपधारणा मानी जानी चाहिये।

इस प्रकरण में हम यह पाते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से वह आवंटन जो वर्ष 1982 में किया गया एवं राजस्व रेकर्ड पर जिसकी प्रविष्टि 1982 में हो गयी तथा आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन तहसीलदार द्वारा वर्ष 2015 में यानि आवंटन के 33 वर्षों बाद एवं रेकर्ड में प्रविष्टि होने के 33 वर्षों बाद आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन प्रमुखतया तहसीलदार द्वारा काश्त नहीं करने की शर्त के उल्लंघन के आधार पर प्रस्तुत किया है। अत्यन्त खेदजनक है कि आवंटन के 33 वर्षों तक प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट तहसीलदार मौन रहा एवं वर्ष 2013 में पटवारी की आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन आने के बाद 2 वर्ष तक फिर मौन रहा 33 वर्ष की अवधि तक किसी आवंटी के आवंटन से सिर्फ काश्त नहीं करने की शर्त के आधार पर निरस्त किये जाने का आवेदन पेश किया गया, इसमें अत्यन्त विस्मय की बात यह भी है कि न सिर्फ अपीलाण्ट आवंटी को किये गये आवंटन

को निरस्त किये जाने का आवेदन पेश किया गया परन्तु विपक्षी के रूप में जिस व्यक्ति का कब्जा है, उसे भी पक्षकार बनाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं उसके द्वारा अपना कब्जा 60 वर्षों का होने के तथ्य वर्णित किये गये। उसके द्वारा आवंटन में कोई अनियमितता होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, सिर्फ महत्वपूर्ण यह वर्णित किया है कि आवंटी अन्य गांव का रहने वाला है, परन्तु बवक्त आवंटन रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 जो अपने को अनाधिकृत कब्जा आवंटी की भूमि पर होना बताता है, वह अपीलाधीन भूमि पर काबिज था, इस बाबत् कोई साक्ष्य उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी न ही रेकर्ड पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध है जिससे आवंटन प्राप्त करते समय आवंटी द्वारा अथवा आवंटन संबंधित कोई अनियमितता की गयी है। बवक्त आवंटन आवंटी से अधिक प्राथमिकता वाले आवेदक उपलब्ध हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है, न ही तहसीलदार द्वारा संस्थित वर्तमान आवंटी को आवंटित भूमि पर रेस्पोंडेण्ट विपक्षी संख्या 2 का कब्जा रहा हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

हम इस प्रकरण में यह भी पाते हैं कि आवंटी को आवंटित भूमि पर किसी अनाधिकृत कब्जेधारी का कब्जा होने पर तहसीलदार को उसे पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी व 33 वर्षों तक तहसीलदार आवंटन निरस्त किये जाने की क्यो प्रतीक्षा करता रहा, यह सोचने का प्रश्न है एवं साथ ही आवंटी का आवंटन निरस्त किये जाने के साथ निरस्त करने का आधार उसका काश्त नहीं किया जाना बता रहा है, उसके विपरीत राजस्वकर्मी एवं तहसीलदार द्वारा उसकी भूमि पर काबिज व्यक्ति को पक्षकार भी संस्थित किया जा रहा है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि बकौल राजस्व प्रशासन यदि आवंटी की आवंटित भूमि पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया जावे तो वह उस पर काश्त कैसे करेगा एवं जिसका अनाधिकृत कब्जा बताया गया है, उसने भी काश्त की हो, ऐसी कोई खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में आवंटन की शर्तों की पालना की अपेक्षा आवंटी से किया

जाना अपेक्षित भी कैसे है। विधिपूर्ण आवंटी के 33 वर्ष के बाद उसका आवंटन काश्त नहीं करने की शर्तों के आधार पर इस आधार पर खारिज करवाने की उस भूमि पर उसने काश्त नहीं की और उस भूमि पर अन्य व्यक्ति काबिज है एवं आवंटी के आवंटन निरस्त करवाये जाने के आवेदन में उसे भी पक्षकार संस्थित करवाना प्रथम दृष्टया यह विधिपूर्ण आवंटी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन है एवं उसे अपने कब्जेयाबी के वाद से भी वंचित किये जाने का कुचक्र एवं षड़यंत्र प्रतीत होता है। हम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकरण में आर.आर.डी. 14.08.2018 पेज 476 पर प्रदत्त नजीर के समानान्तर इस प्रकरण को पाते हैं एवं ऐसे प्रकरणों में जहां आवंटन को 33 वर्ष गुजर गये हो, ऐसा आवंटन किसी अन्य व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा होने के आधार पर आवंटन निरस्त किये जाने के निर्णय को कदापि विधिसंगत नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए अपीलाण्ट को आवंटित ग्राम काटून्दा की आराजी नं0 1066/17 रकबा 1.29 हैक्टेयर जो उसके वारीसान वर्तमान अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज है, उक्त आवंटन को बहाल रखते हैं।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर